

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना सं० : 02/स्था.ए.सी.पी.-15-02/11 ज.स. 5364/संची, दिनांक : 18-9-13

अधिसूचना

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंताओं जिनकी सेवा क्रमशः 12 एवं 24 वर्षों की पूरी हो चुकी है और इस पद के लिए वित्त विभाग के संकल्प सं०-660 दिनांक 08.02.99 के द्वारा रु. 6500-10500 का वेतनमान एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-3589 दिनांक 17.12.07 के द्वारा मूल कोटि के पदाधिकारियों का वेतनमान 8000-275-13500 स्वीकृत है। राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-03/एम-06(प्रो.)-02/2002-5207/वि. दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा एवं सरकार के विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा ए.सी.पी. लाभ प्रदत्त निम्नांकित सहायक अभियंताओं को उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित तिथि के प्रभाव से वेतनमान 10000-325-15200 में प्रथम वित्तीय उन्नयन एवं स्तम्भ-05 में अंकित तिथि के प्रभाव से वेतनमान 14300-400-18300 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया था।

2. वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-1038 दिनांक 26.05.05 के अनुसरण में उक्त वित्तीय उन्नयन की सम्पुष्टि के प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

3. अतएव निम्नांकित सहायक अभियंताओं को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ-04 में अंकित तिथि एवं वेतनमान के प्रभाव से एवं अन्य मामले में वेतनमान 10,000-325-15,200 में प्रथम वित्तीय उन्नयन एवं स्तम्भ-05 में अंकित तिथि एवं वेतनमान के प्रभाव से एवं अन्य मामले में वेतनमान 14300-400-18300 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की सम्पुष्टि संसूचित की जाती है।

क्र०	सहायक अभियंता का नाम	आई.डी.	ए.सी.पी.का लाभ		अभ्युक्ति
			प्रथम 10000-325- 15200	द्वितीय 14300-400- 18300	
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामाकान्त झा	2321	09.08.99	15.02.03	
2.	श्री सच्चिदानंद पाण्डेय	2324	09.08.99	01.04.04	
3.	स्व. मनोजकांत मिश्र	2382	09.08.99	26.02.03	
4.	श्री कृष्णकांत द्विवेदी किशोर	2428	09.08.99	13.02.03	
5.	श्री अशोक कुमार	2491	09.08.99	02.02.03	
6.	श्री ब्रह्मचारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह	2515	09.08.99	31.01.03	
7.	स्व. शिरोमणि प्रसाद सिंह	2564	09.08.99	29.01.03	
8.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा	2566	09.08.99	25.01.03	
9.	श्री बिनोद कुमार	एम 656	09.08.99	07.02.03	
10.	श्री जयकृष्ण झा	एम 545	09.08.99	07.02.03	
11.	श्री देवकान्त चौधरी	एम 400	09.08.99	03.02.03	
12.	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह	एम 647	09.08.99	08.02.03	
13.	श्री योगेन्द्र शर्मा	3332	09.08.99	अप्राप्त	
14.	श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा	3359	09.08.99	अप्राप्त	
15.	श्री आफताब आलम	3416	09.08.99	अप्राप्त	
16.	श्री महेश कुमार चौधरी	3419	09.08.99	अप्राप्त	
17.	श्री मिथिलेश पाण्डेय	3428	09.08.99	अप्राप्त	
18.	श्री अरुण कुमार दास	3431	09.08.99	अप्राप्त	
19.	श्री मु. जमील अख्तर	3468	09.08.99	अप्राप्त	

1	2	3	4	5	6
20.	श्री संगीत कुमार मिश्रा	3506	07.10.99	अप्राप्त	
21.	श्री अमरेश कुमार	3515	12.10.99	अप्राप्त	
22.	श्री सतीश कुमार सिंह	3546	06.11.99	अप्राप्त	
23.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	3657	07.06.00	अप्राप्त	
24.	श्री सत्येन्द्र नाथ पाण्डेय	3670	07.06.00	अप्राप्त	
25.	श्री विमल कृष्ण सिन्हा	3710	01.07.00	अप्राप्त	
26.	श्री प्रदीप चन्द्र ठाकुर	3715	08.06.00	अप्राप्त	
27.	श्री संतोष कुमार द्विवेदी	3765	22.08.00	अप्राप्त	
28.	श्री बिजेन्द्र कुमार	3811	13.04.01	अप्राप्त	
29.	श्री हीराकांत झा	3833	11.04.01	अप्राप्त	
30.	श्री जयप्रकाश चौधरी	3908	30.08.01	अप्राप्त	
31.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	3925	04.09.01	अप्राप्त	
32.	श्री अख्तर अली	3956	14.09.01	अप्राप्त	
33.	श्री मनोहर प्रसाद	4051	29.05.03	अप्राप्त	

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

5364

राँची, दिनांक:-

18-9-13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 100 सौ प्रतियाँ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

5364

राँची, दिनांक :-

18-9-13

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखंड, पो0-हिन्, राँची/उप सचिव, वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि आप अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पूर्जा निर्गत किया जाय।

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

5364

राँची, दिनांक :-

18-9-13

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड/ सभी संबंधित सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02 एवं 08/ वेब इन्फार्मेश्वर मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)